

राजस्व वाद 135/2022

जीसीएमएस नंबर-2022/227

उगाराम वनाम् शंकरराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 135/2022

गण-


उगाराम पुत्र लोडूराम

टीकुराम पुत्र वोदूराम, जातियान-मेघवाल, निवासीगण-दुगस्ताउ, तहसील जायल।

बनाम

वादीगण -

1. शंकरराम पुत्र लोडूराम उर्फ लोडिया
2. जगदीश पुत्र लोडूराम उर्फ लोडिया
3. पाकूराम उर्फ मोहना पुत्र लोडूराम उर्फ लोडिया
4. प्रहलाद पुत्र वद्रीराम
5. नथूराम पुत्र वद्रीराम
6. शायरी पत्नी वद्रीराम
7. भंवरी पुत्री वद्रीराम
8. पपू पुत्री वद्रीराम
9. कैलाशी पुत्री वद्रीराम
10. वंशी पुत्र मोडाराम जातियान मेघवाल, निवासीगण-दुगस्ताउ, तहसील-जायल।
11. बलदेवराम गौद पुत्र हिम्मताराम जाति मेघवाल, निवासी-दुगस्ताउ, तहसील-जायल।
12. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।



उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 11 श्री रामप्रकाश बेदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के मुतदाविया खेतायों के खसरानों में वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को सहखातेदार घोषित किया जाकर विवादग्रस्त खेतायों की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रतिवादी संख्या 1 उगाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में से रकबा 1.3354 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा की तरफ माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 927 रकबा 1.6521 हैक्टेयर में से 0.2065 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 790 रकबा 6.6530 हैक्टेयर में से 0.4754 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 टीकुराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 968 रकबा 0.9146 हैक्टेयर में से हिस्सा रकबा 0.4573 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा की तरफ माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 927 रकबा 1.6521 हैक्टेयर में से 0.6186 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 790 रकबा 6.6530 हैक्टेयर में से 2.4285 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 शंकरराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 968 रकबा 0.9146 हैक्टेयर में से रकबा 0.4573 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की तरफ माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 927 रकबा 1.6521 हैक्टेयर में से 0.2065 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 790 रकबा 6.6530 हैक्टेयर में से 0.6376 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 684 रकबा 1.3436 हैक्टेयर में से 0.6718 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 684 रकबा 1.3436 हैक्टेयर में से रकबा 0.6718 हैक्टेयर उत्तर दिशा की तरफ माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 927 रकबा 1.6521 हैक्टेयर में से 0.2065 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 938 रकबा 1.1493 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

5. प्रतिवादी संख्या 3 पाकूराम/पाकाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 927 रकबा 1.6521 हैक्टेयर में से 0.2065 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 790 रकबा 6.6530 हैक्टेयर में से 1.7709 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

6. प्रतिवादी संख्या 4,5,6 कमश प्रहलाद, नथूराम, सायरी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 973 रकबा 1.6430 हैक्टेयर पूरा, खेत खसरा नंबर 825 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में से रकबा 1.3355 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरीनकशानुसार, खेत खसरा नंबर 790 रकबा 6.6530 हैक्टेयर में से रकबा 0.4857 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा खेत खसरा नंबर 927 रकबा 1.6521 हैक्टेयर में से 0.2065 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर प्रत्येक का 1/3 भाग में सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

7. प्रतिवादी संख्या 10 वंशी उर्फ बंशीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 1014 रकबा 1.3678 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 939 रकबा 1.1250 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

8. प्रतिवादी संख्या 11 बलदेव राम दत्तक पुत्र हिम्मताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 790 रकबा 6.6530 हैक्टेयर में से 0.8095 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

को  
सहायक कमिश्नर  
(एस.डी.ओ.) जयपुर

राजस्व वाद 135/2022

जीसीएमएस नंबर-2022/227

उगाराम वनाम् शंकरराम वगैरह

बादी संख्या 1 उगाराम, व प्रतिवादी शंकरराम, पाकूराम/पाकाराम के हक वंट कब्जा काश्त संयुक्त खातेदारी में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 790 रकबा 6.6530 हैक्टेयर में से रकबा 0.0454 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार भूमि रास्ते के उपरोक्त हेतु रखी गयी है।

प्रतिवादी संख्या 7,8,9 कमश भंवरी, पपु, कैलाशी के उपरोक्त खसरान् में से कोई हक वंट नहीं रखा गया है। इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से नियमानुसार राजहक में स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

1. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।
2. बैंक के रहन खसरान् के संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)

य आज दिनांक 16.6.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी सरे इजलास सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - वावत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -  
सालाना आज की तारीख में जमा वसूलयावी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे  
दस्तखत व मुहर अदालत के तारीख 16.6.23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वावत् इजराज हुक्मनामा			वावत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलवाना		
			मीजान		

मीजान नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)